

कार्यालय-आदेश

उपाचार्य महोदय ने कर्मसमिति की सहमति एवं यू.जी.सी. के 18 जुलाई 2018 विनियमन के संदर्भ में, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित संकाय सदस्यों का पीएच.डी. वेतन वृद्धि हेतु आदेश पास किए हैं।

क्र.सं.	नाम एवं विभाग	वेतन वृद्धि की संख्या	प्रभावी तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	डॉ. काकली दत्त, सहायक प्रोफेसर (स्तर-3) कंप्यूटर एवं प्रणाली विज्ञान विभाग, शिक्षा भवन	3	04/08/2018	केवल सेवाकालीन पीएच.डी. हेतु प्रवेश स्तर पर वेतन वृद्धि
2	डॉ. मधुसूदन पॉल, सहायक प्रोफेसर, कंप्यूटर एवं प्रणाली विज्ञान विभाग, शिक्षा भवन	3	08/07/2020	केवल सेवाकालीन पीएच.डी. हेतु प्रवेश स्तर पर वेतन वृद्धि
3	डॉ. आलोक बंद्योपाध्याय सहायक प्रोफेसर, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, संगीत भवन	3	18/07/2018	केवल सेवाकालीन पीएच.डी. हेतु प्रवेश स्तर पर वेतन वृद्धि
4	डॉ. प्रशांत फिरिंगी सहायक प्रोफेसर, ग्राफिक कला विभाग, कला भवन	3	29/08/2018	केवल सेवाकालीन पीएच.डी. हेतु प्रवेश स्तर पर वेतन वृद्धि
5	डॉ. उत्तम कुमार बसाक सहायक प्रोफेसर, ग्राफिक कला विभाग, कला भवन	3	28/01/2019	केवल सेवाकालीन पीएच.डी. हेतु प्रवेश स्तर पर वेतन वृद्धि
6	डॉ. उमाकांत प्रसाद सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, विनय भवन	3	23/09/2019	केवल सेवाकालीन पीएच.डी. हेतु प्रवेश स्तर पर वेतन वृद्धि
7	डॉ. तापस कुमार दास, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, विश्वभारती	3	18/01/2019	केवल सेवाकालीन पीएच.डी. हेतु प्रवेश स्तर पर वेतन वृद्धि

इस संबंध में उपर्युक्त संकाय सदस्यों हेतु जारी पूर्व कार्यालय आदेश को रद्द समझा जाए।

हस्ता./-
कुलसचिव (कार्यकारी)
विश्वभारती

सं. स्था./ई-I/आईएनसी/2020-21
शांतिनिकेतन, 22 फरवरी, 2021

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

1. अध्यक्ष, संगीत भवन/शिक्षा भवन/कला भवन/विनय भवन
2. अध्यक्ष, कंप्यूटर एवं प्रणाली विज्ञान विभाग/एच.सी.एम./शिक्षा/ग्राफिक कला, विश्वभारती
3. वित्त अधिकारी
4. सभी संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/सहा. प्रोफेसर
5. कुलपति के गोपनीय सचिव
6. कुलसचिव के निजी सहायक
7. हिंदी अधिकारी - अनुरोध है कि हिंदी में अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
8. सहा. कुलसचिव (बैठक) - कर्मसमिति बैठक में सहमति हेतु।
9. अनुभाग अधिकारी (वेतन नियतन प्रकोष्ठ) - वेतन नियतन हेतु।
10. विश्वविद्यालय वेब मास्टर - कृपया विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. व्यक्तिगत फाइल (7)
12. संयुक्त कुलसचिव (लेखा), विश्वभारती